<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय					
01-वेतन	12300.00	911.42	911.42	911.42	11388.58
03-मंहगाई भत्ता (	3075.00	500.00	500.00	500.00	2575.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	110.00	40.00	40.00	40.00	70.00
योग-	**15485.00**	**1451.42**	**1451.42**	**1451.42**	**14033.58**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

03-महॅगाई भत्ता	270.00	700.00	430.00	430.00	700.00
06-अन्य भत्ते	3.00	30.00	27.00	27.00	30.00
09-विद्वुत देय	30.00	100.00	70.00	70.00	100.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	18.00	150.00	132.00	132.00	150.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	108.00	250.00	142.00	142.00	250.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.15	30.00	28.85	28.85	30.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.00	20.09	20.09	20.09	20.09
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.00	6.48	6.48	6.48	6.48
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
49-चिकित्सा व्यय	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	600.00	500.00	500.00	600.00
योग -	**605.15**	**2056.57**	**1451.42**	**1451.42**	**2056.57**

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11.04.2020 एवं 24.04.2020 के द्वारा वर्तमान में कार्मिकों के किसी प्रकार के एरियर, मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त दरों को संचयी दरों में शामिल किये जाने के कारण तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर प्रतिकर भत्ता को दिनांक 01.04.2020 से स्थगित किये जाने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-77/तीस-3-2019, दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं अन्य जनपदों में एक-एक ट्रिब्युनल अर्थात 75 ट्रिब्युनल को संचालित किया जाना है।

वर्तमान में 53 एम0ए0सी0टी0 कार्यालय संचालित है, जिनके आहरण एवं वितरण अधिकारी पीठासीन अधिकारी स्वयं है। शासन के पत्र संख्या-एम0ए0सी0टी0-238/तीस-3-2020, दिनांक 15.07.2020 द्वारा जिन जनपदों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की तैनाती नहीं हुई है, वहां पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को एम0ए0सी0टी0 कार्यालयों के आहरण एवं वितरण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार 53 एम0ए0सी0टी0 कार्यालयों के पीठासीन अधिकारियों के लम्बित बजट मांग-पत्रों के निस्तारण के लिये व्यय की अधिकतर मानक मदों में तथा अन्य जनपदों में नवीन एम0ए0सी0टी0 कार्यालयों को स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारियों के बजट मांग-पत्रों की अमुक मदों में बजट मांग-पत्रों के निस्तारण हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-79-/ई-9-यू0ओ0-ई-9-1090/दस-2020, दिनॉक 25 सितम्बर, 2020

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(उदयवीर सिंह राठौर)
अनु सचिव,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-72/2020/3425/तीस-3-20-06बी/2014टीसी, दिनॉक 25 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(मदन मोहन)

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।